भीमाराम .... बनाम ....

.... प्रकरण संख्या 49/2019 /

किस्म मुकदमा वाद

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज
	व सकाराम का वादी साक्ष्य हेतु शपथ पत्र पेश किया, जिसे रेकर्ड पर लिया जाकर शामिल मिसल किया गया। वादी स्वयं हाजिर, जिनके ब्यान कलमबद्ध किये जाकर रेकर्ड पर लिये जाकर शामिल मिसल किये गये। वादी साक्ष्य हेतु भैराराम व सकाराम हाजिर, जिनके ब्यान कलमबद्ध किये जाकर रेकर्ड पर लिये जाकर शामिल मिसल किये गये। प्रतिवादी वादी शहादत से जिरह नहीं करना चाहते है अतः वादी शहादत से प्रतिवादी जिरह बंद की जाती है। चूंकि वादी अधिवक्ता आगे ओर वादी साक्ष्य पेश नहीं करना चाहते है अतः वादी साक्ष्य बंद की जाकर मिसल वास्ते निर्णय तारीख 19.11.19 को पेश हो।
	उपखण्ड अधिकारी, जसवन्तपुरा जिला-जालोर (राज.)
19.11.19	पत्रावली आज पेश हुई। आज श्रीमान् पीठासीन अधिकारी महोदय दौरे में है। पत्रावली आयंदा तारीख 28.11.19 को पेश हो।
28.11.19	पत्रावली आज पेश हुई। वादी अधिवक्ता हाजिर। प्रकरण में वादी अधिवक्ता द्वारा मालिक इस्तगासा प्रकरण में डिक्री/निर्णय जारी किये जाने का निवेदन किया। हमने प्रकरण व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। बाद विवेचन प्रकरण में वादीगण/वादी से प्रतिक्षा कि

ओमाराम बनाम सरकार

किस्म मुकदमा 915 प्रकरण संख्या 49/2018

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहमकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	वाद अंतर्गत धारा 88 ओमाराम खातेदारी R.T.A. पेश किया है जिसके अंतर्गत वादी स्वयं की खातेदारी के समस्त खसरान में नाम शुद्धि करवाना चाहता है, जो उक्त धारा में किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। नाम शुद्धि हेतु वादी अधिवक्ता, राजस्व अधिनियम 1956 की उचित धारा अंतर्गत प्रार्थना-पत्र पेश करने हेतु स्वतंत्र रहेंगे। अतः मौजूदा इस्तगासा वादी का वाद अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम चलने योग्य नहीं होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर [illegible] दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलेक्टर जसवन्तपुरा (जालोर)	

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Pushpa Kanwar Sisodiya
Date: 2019.12.10 14:07:14 IST
Reason: SelfAttested
Location: